

IS 15700:2005



सेवात्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, अवध विहार योजना
आफिस काम्प्लेक्स, पंचम ताल, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना,
रायबरेली रोड, लखनऊ-226025

website: www.upavp.in, e-mail: avadhviharlko@upavp.com

पंजीकृत डाक द्वारा

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700



पत्र सं०-397 / सं०प्र० अ०वि०यो० / प्रदेशन पत्र / फ्लैट सं०-3/T6-703 (3BHK+Servant)

दिनांक- 24/11/24
अनन्तिम

प्रदेशन- पत्र

सेवा में,

SRI/SMT/KM : SATYENDRA SINGH

S/O/W/O/D/O : RAM CHANDRA

ADDRESS : G-31, BUTLER PALACE COLONY HAZRATGANJ LUCKNOW-226001

महोदय / महोदया,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की अवध विहार योजना सुल्तानपुर रोड (शहीद-पथ) लखनऊ के सेक्टर-3 में बहुमंजिली आवासीय परियोजना के अन्तर्गत अलकनन्दा एन्क्लेव में 3BHK+S प्रकार के फ्लैट हेतु "प्रथम आगत एवं प्रथम प्रदत्त योजनान्तर्गत" आपके ऑनलाईन आवेदन दिनांक-17.04.2024 के फलस्वरूप फ्लैट संख्या-3/T6-703 आवंटित किया गया है। स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार सम्पत्ति के कुल मूल्य, जमा धनराशि एवं सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क-आवंटित सम्पत्ति का विवरण		
1-	आवंटित फ्लैट की संख्या/श्रेणी	3/T6-703/ 3BHK+S (TYPE-2)
2-	यूनिक आई.डी.संख्या	
3-	चालान संख्या	
4-	आवंटन/झा की तिथि	ONLINE FCFS/ALK-3BHK+S/ -223
5-	फ्लैट का वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल	17.04.2024
6-	फ्लैट का सुपर एरिया	134.77 वर्गमी०
		149.13 वर्गमी०
ख- सम्पत्ति का कुल मूल्य		
1-	फ्लैट का निर्माण मूल्य	रु० 10037200.00
2-	फ्लैट में सम्मिलित समानुपातिक भूमि क्षेत्रफल 55.65 वर्गमी० व भूमि दर रु० 32869.20 प्र०व०मी० का 12% फी-होल्ड शुल्क	रु० 215592.00
3-	आवंटन चार्ज (प्रथम से तृतीय तल तक)	रु० 0.00
	कुल मूल्य	रु० 10256700.00
ग- जमा धनराशि का विवरण		
1.	देय पंजीकरण धनराशि	रु० 512835.00
2.	जमा पंजीकरण धनराशि	रु० 512835.00

शुद्ध देय धनराशि रूपया 9743865.00 में से कुल सम्पत्ति मूल्य का 1 प्रतिशत आयकर रु० 102567.00 आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194.1-ए के अनुसार (आयकर विभाग की वेबसाइट पर फार्म नं०-26 क्यू०बी० में ऑनलाइन द्वारा) काटकर परिषद के पैन नं० AAAJU0103A पर तथा शेष धनराशि रु० 9641298.00 जो दिनांक 22.07.2024 तक एस०बी०आई० बैंक, की किसी भी शाखा में अपनी यूनिक आई.डी./ई-चालान पर जमा कर रसीद प्रस्तुत करें। विलम्ब से आयकर का भुगतान करने पर आयकर विभाग के प्रावधानों के अनुसार ब्याज भी देय होगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। दण्ड ब्याज की देनदारी परिषद की नहीं होगी।

नोट: सम्पत्ति के मूल्य का पूर्ण भुगतान पत्र निर्गमन की तिथि से 60 दिन के अन्दर जमा करने पर परिषद नियमानुसार 05 प्रतिशत छूट के पश्चात शुद्ध देय धनराशि रु० रु० 9231030.00 में से कुल सम्पत्ति मूल्य का 1 प्रतिशत आयकर रु० 102567.00 आयकर अधिनियम 1961 की धारा-194.1-ए के अनुसार (आयकर विभाग की वेबसाइट पर फार्म नं०-26 क्यू०बी० में ऑनलाइन द्वारा) काटकर परिषद के पैन नं० AAAJU0103A पर तथा शेष धनराशि रु० 9128463.00 एस०बी०आई० बैंक, की किसी भी शाखा में अपनी यूनिक आई.डी./ई-चालान पर जमा कर रसीद प्रस्तुत करें। देय धनराशि पत्र भुगतान 60 दिन में प्राप्त न होने पर किसी प्रकार की छूट अनुमत्य नहीं होगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य मदों की धनराशि भी देय होगी।

क्रमशः.....2 पर

घ- विविध शुल्क

अ- विविध शुल्क के मद में दिनांक 22.07.2024 तक आई0डी0एफ0सी0 बैंक, की किसी भी शाखा में अपनी यूनिट आई.डी./ई-चालान के माध्यम से जमा की जाने वाली धनराशि :-

1-	विक्रय विलेख शुल्क	रु0	300.00
2-	साइट प्लान शुल्क	रु0	100.00
3-	अन्य शुल्क/विज्ञापन व्यय (@0.25)	रु0	25642.00
4-	पंजीकरण फार्म शुल्क	रु0	1000.00
5-	प्लैट परिवर्तन शुल्क (अन्तर धनराशि)	रु0	0.00
6-	कवर्ड कार पार्किंग चार्ज	रु0	200000.00
7-	प्रिपेड मीटरिंग/सर्विस कनेक्शन/सिक्योरिटी मद में विविध शुल्क मद में जमा की जाने वाली कुल धनराशि	रु0	0.00
		रु0	227042.00

ब- विविध शुल्क के मद में जमा की जाने वाली कुल धनराशि पर देय जी.एस.टी. आई0डी0एफ0सी0 बैंक, की किसी भी शाखा में अपनी यूनिट आई.डी./ई-चालान द्वारा जमा की जाने वाली कुल धनराशि।

रु0 40868.00

स- अलकनन्दा एन्क्लेव अपार्टमेंट ओनर्स वेलफेयर एण्ड मेन्टीनेन्स एसोसियेशन हेतु EX.ENGG.CD-14 UPAVP A/C:-917010075041724 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट अथवा ऑन लाईन RTGS (IFSC CODE- UTIB0003229) एक्सिस बैंक, बी-ब्लाक इन्दिरा नगर, लखनऊ (कोड 3229) में जमा की जाने वाली धनराशि :-

1-	रख रखाव शुल्क (एक माह का)	रु0 1.00 प्र0व0 फिट प्रति माह	रु0	1605.00
2-	कार्पस फण्ड		रु0	512835.00
3-	आजीवन सदस्यता शुल्क		रु0	500.00

कुल धनराशि रु0 514940.00

भवदीय,

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

विक्रय विलेख हेतु वाँछित औपचारिकताओं की पूर्ति दिनांक-22.07.2024 तक किये जाने का विवरण :-

- 1- जमा पंजीकरण धनराशि की चालान की प्रति मूलरूप में जमा करें।
- 2- रु0 10/- का नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर आश्वासन पत्र एवं रु0 100.00 नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर (मीटर बाण्ड) हेतु जमा करें।
- 3- राजपत्रित अधिकारी से दो अलग-अलग सादे कागज पर फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर जिस पर प्रमाणित कर्ता अधिकारी के नाम एवं पदनाम की स्पष्ट मुहर अंकित हो प्रारूप नीचे अंकित है एवं 03 नग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- 4- आवंटित प्लैट के विक्रय विलेख के निष्पादन हेतु रु0 718000.00 के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर मुख्य कोषाधिकारी/ई-स्टैम्प पेपर किसी भी लखनऊ स्थित बैंक से स्वयं के नाम से क्रय कर नियत विषय वस्तु को स्वयं टंकित कराकर प्रस्तुत करें। विक्रय विलेख का प्रारूप कार्यालय से पेन ड्राइव अथवा ई-मेल पर अथवा हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। स्टैम्प पेपर शासनादेश के अनुसार परिवर्तनीय है।
- 5- उपरोक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशियाँ समयान्तर्गत न जमा किये जाने पर अतिरिक्त ब्याज 13.5% (11.5+2%) की दर से देय होगा तथा निर्धारित तिथि तक वाँछित औपचारिकताएँ पूर्ण न किये जाने की स्थिति में रु0 75.00 प्रतिदिन की दर से जमा करने की तिथि तक विलम्ब शुल्क भी देय होगा, जिसे आपको जमा करना होगा।

क्रमांक-3 के लिए प्रारूप-फोटो एवं हस्ताक्षर, राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराने हेतु (दो नग)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासीको मैं भली-भांति जानता व पहचानता हूँ। इनके हस्ताक्षर एवं फोटो मेरे द्वारा नीचे प्रमाणित किये जाते हैं।

- 1- हस्ताक्षर
- 2- हस्ताक्षर

फोटो
निष्कर्ष